



राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांक:- एफ2(3)/लागत/1019 (A)/364

दिनांक: 17.09.2013

--:: कार्यालय आदेश ::--

मण्डल की 220 वीं बैठक दिनांक 06.09.2013 के बिन्दु संख्या 220.36 में लिए गये निर्णय के अनुसार लागत सिद्धान्त 2010 के बिन्दु संख्या 6.11 (C) में संस्थान आवंटन में की जाने वाली राशि के सम्बन्ध में वर्तमान प्रावधान में से "In case of corner plots, 25 per cent additional cost will be charged on the institutional rates. 25% overheads on the price of land allotted for institutional purpose will be added to account for direct costs" को विलोपित किया गया है।

लागत सिद्धान्त 2010 के कार्यालय आदेश संख्या लागत/1019/1221 दिनांक 01.06.2010 के बिन्दु संख्या 6.11 (C) में भी उक्त अनुसार विलोपित किया जाता है तत्पश्चात् "On institutional land: the cost of developed land shall be 1.5 times that applicable on residential land on the reasoning given in clause 6.1(c)" यथावत रहेंगे।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से प्रभावी होंगे।

(डी.सी.चौधरी)
वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/वित्तीय सलाहकार, रा.आ.म., जयपुर।
- 2- मुख्य अभियन्ता/सचिव, रा.आ.म., जयपुर।
- 3- अति.मु. अभियन्ता, प्रथम/तृतीय एवं अध्यक्ष अवसायन समिति, रा.आ.म., जयपुर।
- 4- अति.मु. अभियन्ता, द्वितीय, रा.आ.म., जोधपुर/OSD/CEM/ जयपुर।
- 5- उप आवासन आयुक्त, वृत्त-I/II/III, जयपुर/जोधपुर -I/II/ उदयपुर/कोटा/अलवर/ बीकानेर।
- 6- निदेशक, विशलेष्क कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा.आ.म., जयपुर।
- 7- आवासीय अभियन्ता, खण्ड-I/II/III/IV/V/VI/VII/VIII/IX/X/XI/XII/XIII, रा.आ.म., जयपुर /PHE-I/II, जयपुर/जोधपुर-I/II/III/ उदयपुर-I/II/विद्युत खण्ड, जयपुर/अजमेर/भिवाड़ी/भरतपुर/झुन्झनू/डुंगरपुर/जैसलमेर/नागौर/बीकानेर/ कोटा/अलवर/पाली/बारां/दौसा/हनुमानगढ़/चित्तौड़गढ़।
- 8- सहायक लेखाधिकारी वृत्त- I/II/III, जयपुर/जोधपुर-I/II/उदयपुर/कोटा/अलवर/ बीकानेर।
- 9- सम्बन्धित पत्रावली।
- 10- रक्षित फाईल।

१५५५१५१

(एम.के.गुप्ता) 17.9.13

वरिष्ठ लेखाधिकारी